परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांङ्क: 06.02.2014 का कार्यवृत्त

आज दिनांङ्क 06.02.2014 को अपराह्न 03:30 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात् बैठक की गई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 संजय स्वर्णकार, उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 संदीप सिंह, आचार्य, प्रौढ़ सतत शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 बेबी रानी अग्रवाल, प्राचार्या, जुहारी देवी गर्ल्स डिग्री कालेज कानपुर।	सदस्या
5.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, अचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 पी0के0 कुश, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 अंशु यादव, उपाचार्या, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
8.	डॉ0 आर0के0 सिंह, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
9.	डॉ0 देवेन्द्र अवस्थी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी शिक्षक एसोसिएशन।	सदस्य
10.	श्री सय्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों के स्वागतोपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. (क) सचिव ने समिति को अवगत कराया कि सत्र 2013–14 की संस्थागत परीक्षा की बी0ए0 प्रथम वर्ष की कक्षा के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा दिनांक 04.03.2014 को निर्धारित है। मुख्य परीक्षा में प्रथम बार ओ0एम0आर0 उत्तरपत्रक का प्रयोग किया जा रहा है। ओ0एम0आर0 आधारित प्रश्नपत्र की परीक्षा का आयोजन परीक्षा की सुचिता की दृष्टि से प्रथम दिवस ही कराया जाना उचित नहीं होगा।

उक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार क्रमशः दिनांक 04.03.2014 व 05.03.2014 को सम्पन्न होने वाली बी0ए0 प्रथम वर्ष कक्षा की समाजशास्त्र विषय के प्रथम व द्वितीय प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं क्रमशः दिनांक 06.03.2014 व 07.03.2014 को पूर्व नियत पाली में सम्पन्न करा ली जाय तथा उक्त तिथियों में पूर्व निर्धारित हिन्दी साहित्य विषय के प्रथम व द्वितीय प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं क्रमशः दिनांक 04.03.2014 व 05.03.2014 को पूर्व नियत पाली में सम्पन्न करायी जाय।

परीक्षा की सुचिता को बनाए रखने के लिए समिति ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा के नोडल केन्द्रों पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भेजकर परीक्षोपरान्त बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों के ओ0एम0आर0 उत्तरपत्रक उसी दिन या विलम्बतम परीक्षा के अगले दिन तक प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय में मँगवा लिया जाय।

कार्यवाही–उप/सहा0 कुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

(ख) सत्र 2013–14 की संस्थागत परीक्षा हेतु नोडल/परीक्षा केन्द्र बनाए जाने पर विचार :–

सचिव ने अवगत कराया कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.01.2014 के कार्यवृत्त की मद सं0–3 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में सत्र 2012–13 की परीक्षा हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों को यथावत रखा गया है तथा आवश्यक होने के कारण कानपुर नगर स्थित तीन महाविद्यालयों 1. ब्रम्हावर्त महाविद्यालय, मंधना, कानपुर, 2. खालसा डिग्री कालेज, कानपुर, 3. एस.जे. महाविद्यालय, रमईपुर, कानपुर को तथा इलाहाबाद जनपद में स्थित स्व. धनराज सिंह महाविद्यालय, महाजना, धनूपुर, हण्डिया, इलाहाबाद को नोडल केन्द्र बनाया गया है। साथ ही दिनांक 16.01.2014 की समिति की बैठक की उक्त मद संख्या में लिए गए निर्णय कि 'किसी भी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय को स्वयं का अकेले नोडल केन्द्र न बनाया जाय।' के अनुपालन में उक्त श्रेणी के स्वनोडल केन्द्रों को समीपस्थ स्वनोडल केन्द्रों में सम्बद्ध कर दिया गया है।

उक्त से संसूचित होते हुए परीक्षा समिति ने अपनी सहमति प्रदान की।

सचिव ने परीक्षा समिति को यह भी अवगत कराया कि ई0डी0पी0 अनुभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कई ऐसे महाविद्यालय है जिन पर प्राचार्य व एक भी शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है।

उक्त का संज्ञान लेते हुए समिति ने विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया कि उक्त श्रेणी के महाविद्यालयों में शिक्षक अनुमोदन की अद्यतन वस्तुस्थिति से समिति को शीघ्र ही अवगत कराया जाय। उक्त हेतु दिनांक 11.02.2014 को परीक्षा समिति की आपात् बैठक आहूत किए जाने हेतु कुलपति जी ने आदेश प्रदान किए। उक्त आगामी बैठक में उक्त श्रेणी के महाविद्यालयों में परीक्षा कराने हेतु व्यापक विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिए जाने पर सहमति बनी।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)

(ग) सत्र 2012–13 की संस्थागत परीक्षा में योजित उड़नदस्तों की आख्या के आधार पर सामूहिक नकल में आरोपित 103 महाविद्यालयों के सापेक्ष परीक्षा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 17.08.2013 की मद संख्या–5 में लिए गए निर्णय के अनुपालन पर विचार :–

सचिव ने अवगत कराया कि संदर्भित परीक्षा समिति के विनिश्चय का कार्यकारी अंश यह है कि ''अतएव परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपारान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने व सामूहिक नकल की पुष्टि हेतु पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव के कारण उत्पन्न हुई संदेहास्पद स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालयों को सामूहिक नकल में आरोपित किया जाना उचित नहीं है। परीक्षा की सुचिता व गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए परीक्षा समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त सम्बन्धित महाविद्यालयों को इस आशय की चेतावनी भी दी जाय कि भविष्य में यदि उनके महाविद्यालय में नकल व अन्य किसी प्रकार की शिकायत पायी जाएगी तो नियमानुसार उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। समिति ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि श्रेणी (i) में वर्णित महाविद्यालयों की सत्र 2013–14 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र अन्यत्र निर्धारित करने पर भी विचार किया जाय।''

उक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त संदर्भित श्रेणी (i) में समाहित 103 महाविद्यालयों को परीक्षा की दृष्टि से समिति ने अतिसंवेदनशील मानते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित कर पर्यवेक्षक/सचलदल योजित करते हुए विशेष निगरानी में परीक्षा सम्पन्न करायी जाय। साथी ही यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सम्बन्धित महाविद्यालयों में परीक्षा के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि के माध्यम से गहन निगरानी रखने का अनुरोध किया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)

(घ) शासन द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाए जाने से प्रतिबन्धित किए गए महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने पर विचार :–

प्रकरण पर परीक्षा समिति के सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि सत्र 2010–11 की परीक्षा में सामूहिक नकल में आरोपित 1. स्व. दया शंकर पटेल महाविद्यालय, कैथा गाजीपुर, महौली, सीतापुर, 2. स्व. महादेव प्रसाद स्मारक महिला महाविद्यालय, हुसेपुर, सौरिख, कन्नौज, 3. रधुराजा रामगोपाल महाविद्यालय, बहुराजमऊ, रैथाना, उन्नाव, 4. बाबू जयशंकर प्रसाद महाविद्यालय, सुमेरपुर, उन्नाव को शासन द्वारा तीन वर्षो तक परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से प्रतिबन्धित किया गया था। उक्त महाविद्यालयों को परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 16.02.2012 के मद सं0–1(ग) के अनुपालन में गठित परीक्षा समिति की उपसमिति के विनिश्चय दिनांक 12.03.2012 (परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.03.2012 की मद सं0–3 द्वारा अनुमोदित) के क्रम में सत्र 2011–12 की परीक्षा हेतु सशर्त परीक्षा केन्द्र बनाया गया था। उक्त समिति का उक्त महाविद्यालयों से सम्बन्धित विनिश्चय निम्नवत है :–

''विश्वविद्यालय द्वारा शासन को उक्त प्रकार के महाविद्यालयों के सामूहिक नकल में आरोपित होने की सूचना को प्रेषित करने की त्रुटि स्वीकारते हुए वास्तविकता से इस शर्त के साथ अवगत करा दिया जाय कि यदि उक्त से शासन सहमत नहीं होता है तो सम्बन्धित महाविद्यालयों की परीक्षाएं निरस्त कर दी जाएगी। अतएव समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उपर्युक्त प्रकार के महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकता है।''

सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त विनिश्चय के अनुपालान में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र सं0–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/आर.कैम्प/806/2012 दिनांक 12.04.2012 शासन को प्रेषित कर दिया गया था।

किन्तु शासन से उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुए। सचिव ने यह भी अवगत कराया कि परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 08.02.2013 के कार्यवृत्त की मद सं0–1(ड) में किए गए निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित महाविद्यालयों को सत्र 2012–13 की परीक्षा के लिए भी केन्द्र बनाया गया था। साथ ही उक्त विनिश्चय के अनुपालन में शासन को विश्वविद्यालय के पत्र सं0–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/आर. कैम्प/374/2013 दिनांक 26.04.2013 के माध्यम से अवगत भी कराया गया था। किन्तु शासन से उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।

उक्त तथ्यों से अवगत होते हुए परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त के सम्बन्ध में शासन को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाय। साथ ही छात्रहित में ऊपर वर्णित शर्ताधीन सम्बन्धित महाविद्यालयों को सत्र 2013–14 के लिए संस्थागत परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। साथ ही उक्त सम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों में एक–एक पर्यवेक्षक नियुक्त कर सघन निगरानी में परीक्षाएं सम्पन्न करायी जाय। समिति ने सम्बन्धित महाविद्यालयों को परीक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील भी माना।

कार्यवाही–उप/सहा0 कुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)

(ड़) बाबूराम रूकमणी देवी महाविद्यालय, मूसानगर, कानपुर देहात को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने पर विचार–

उक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि उक्त महाविद्यालय को सत्र 2010–11 की परीक्षा में सामूहिक नकल में आरोपित होने के कारण शासन द्वारा तीन वर्षो तक परीक्षा केन्द्र न बनाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। साथ ही उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक ने उड़नदस्ते पर वसूली का आरोप लगाया था, जिसकी जाँच के लिए शासन ने आदेश किए थे। उक्त प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक 13 जुलाई, 2011 में भी विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। बैठक के मद संख्या–छ (अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) में निर्णय लिया गया था कि ''विश्वविद्यालय के एक अधिकारी एवं एक शिक्षक द्वारा महाविद्यालय से रूपये माँगे गए है, जिसकी सी.डी. बनाकर महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा कुलपति जी एवं शासन को प्रेषित की गई है। परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक इस प्रकरण की जाँच पूरी न हो जाये तब तक उक्त महाविद्यालय के विरूद्ध पिछली परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.06.2011 मे तय की गयी कार्यवाही स्थगित रखी जाय।''

शासन के निर्देश एवं परीक्षा समिति की उपसमिति की आख्या दिनांक 12.03.2012 (परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.03.2012 की मद संख्या–3 द्वारा अनुमोदित) के आलोक में सम्बन्धित महाविद्यालय को वर्ष 2012 में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया था। समिति के सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उड़नदस्ते द्वारा वसूली के आरोप की शासन द्वारा करायी गयी जाँच आख्या प्राप्त हो गई है।उक्त जाँच में सदस्यों पर आरोप सिद्ध नहीं हुए और वह निर्दोष पाए गए है।

उक्त तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति ने अपनी आपात बैठक दिनांक 08.02.2013 के विनिश्चय सं0–1(च) में व्यापक विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया था कि वर्ष–2012 में महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाए जाने से हुई उसकी मानहानि को पर्याप्त दण्ड माना जाय। साथ ही महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या व 05 किमी0 की परिधि में अन्य महाविद्यालयों की अनुलब्धता के दृष्टिगत उसे छात्रहित में इस शर्त के साथ सत्र 2012–13 की संस्थागत परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय कि यदि शासन परीक्षा समिति के उक्त निर्णय से सहमत नहीं होता है तो महाविद्यालय की परीक्षाएं निरस्त कर दी जाएगी।

उक्त के क्रम में शासन को विश्वविद्यालय के पत्र सं0–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/आर.कैम्प/374/2013 दिनांक 26.04.2013 के माध्यम से अवगत भी कराया गया था। किन्तु शासन से उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।

उक्त तथ्यों से अवगत होते हुए परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त के सम्बन्ध में शासन को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाय। साथ ही छात्रहित में ऊपर वर्णित शर्ताधीन सम्बन्धित महाविद्यालय को सत्र 2012–13 की भांति सत्र 2013–14 की परीक्षा के लिए संस्थागत परीक्षा केन्द्र बनाया जाय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय में एक पर्यवेक्षक नियुक्त कर गहन निगरानी में परीक्षा करायी जाय। समिति ने सम्बन्धित महाविद्यालय को परीक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील भी माना।

कार्यवाही–उप/सहा0 कुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)

(च) सत्र 2013–14 के संस्थागत परीक्षार्थियों की छूटी हुई प्रायोगिकी कराए जाने पर विचार :–

सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2013–14 के संस्थागत परीक्षा के कतिपय परीक्षार्थियों ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से छूटी गई प्रायोगिकी/मौखिकी कराये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छूटी हुई प्रायोगिकी/मौखिकी पुनः न करायी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)

(छ) सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2013–14 की संस्थागत परीक्षा से बी0ए0/बी0एससी0 तृतीय वर्ष की कक्षा में गणित विषय में नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार मौखिकी समाप्त कर दी गई है। उक्त के स्थान पर एक लिखित प्रश्नपत्र की व्यवस्था की गई है। परन्तु सत्र 2012–13 में अनुत्तीर्ण रहे छात्रों को भूतपूर्व छात्रों के रूप में पुराने पाठ्यक्रम से परीक्षा करायी जानी है। भूतपूर्व छात्रों की संख्या महाविद्यालयों में बहुत कम है, जिस कारण मौखिकी हेतु प्रत्येक केन्द्र में परीक्षकों का पैनल भेजना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। उक्त मौखिकी हेतु जनपदवार किसी एक राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालय जहाँ स्नातक स्तर पर गणित का अध्यापन किया जाता हो, मौखिकी हेतु परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकता है।

उक्त प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गणित विषय के परीक्षार्थियों की मौखिकी सम्बन्धित जनपदों के राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सम्पन्न करायी जाय।

कार्यवाही–उप/सहा0 कुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)

सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

(प्रो० अशोक कुमार)
कुलपति

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव